भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2054

उत्तर देने की तारीख : 28.07.2022

लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण

2054. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** क्या लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित और अनारक्षित सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए कोई परामर्शदात्री समिति मौजूद है;

(ख) : यदि हां तो उक्त समिति के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) : एमएसएमई क्षेत्र के लिए विभिन्न सामग्रियों के आरक्षण हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) : क्या बड़े पैमाने के उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्योगों और कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ङ) : लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) में विनिर्माण के लिए आरक्षित एवं अनारक्षित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए कोई भी परामर्शी समिति मौजूद नहीं है। तथापि, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आरक्षण के लिए गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योग (अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की पूर्ववर्ती सूची में विनिर्दिष्ट वस्तुएं समय-समय पर अनारक्षित की जाती रही हैं। लघु उद्योगों में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित सभी वस्तुओं की सूची से डीपीआईआईटी के का. आ. 998 (अ.) दिनांक 10.04.2015 को की गई अधिसूचना द्वारा 20 वस्तुएं अनारक्षित कर दी गई थीं। अब उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत एसएसआई क्षेत्र में विशेष विनिर्माणन के लिए सभी आरक्षित वस्तुओं को अनारक्षित कर दिया गया है। इस प्रकार बड़े उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिशानिर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

****